भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2527

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

2527. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्याज भारत के मुख्य प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक के किसानों का एक महत्वपूर्ण फसल है, प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्याज के किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव और बढ़ती उत्पादन लागत से बचाने के लिए कम से कम 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) मंत्रालय प्याज उत्पादक किसानों को वित्तीय संकट से बचने के लिए उनको समय पर खरीद और भुगतान सुनिश्चित करने की किस प्रकार योजना बना रहा है; और

(घ) क्या सरकार का प्याज की कीमतों को स्थिर रखने और कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करता है, को रोकने में सहायता करने के लिए बाजार हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है, न कि क्षेत्र या राज्य-विशिष्ट के लिए। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें यथा धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास और 6 रबी फसलें यथा गेहूं, जौ, चना, मसूर (लेंटिल), रेपसीड और सरसों, कुसुम्भ और दो वाणिज्यिक फसलें यथा पटसन और कोपरा शामिल हैं।

एमएसपी ढांचे के तहत फसलों को शामिल करना अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली, व्यापक उपभोग की वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक होना इत्यादि जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

सरकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर उन नाशवान कृषि एवं बागवानी फसलें, जो कि एमएसपी के तहत शामिल नहीं हैं, के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को कार्यान्वित करती है। हस्तक्षेप का उद्देश्य इन जिंसों की चरम आगमन अवधि के दौरान, बम्पर फसल की स्थिति में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से कम हो जाती हैं तब इन जिंसों के उत्पादकों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना है। योजना के अनुसार शर्त है कि उत्पादन में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि या 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाली हानि, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) का वहन करने के लिए तैयार है, के अनुरोध पर कार्यान्वित किया जाता है।

सरकार ने प्याज का निर्यात बढ़ाने के लिए प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) हटा दिया है और निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

*****